न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 13/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00050

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चिमाराम पुत्र खंगाराराम 2 बुधाराम पुत्र हणुंताराम 3 गवरी बैवा खंगाराराम जातियान–बिश्नोई, निवासीगण –सरनाउ तहसील व जिला सांचौर		1 रतनाराम पुत्र वगताराम 2 रामकिशन पुत्र वगताराम 3 हरलाल पुत्र वगताराम 4 गवरी पत्नी वगताराम 5 जोधा पुत्र हणुंताराम 6 केरा पुत्र हणुंताराम 7 जगदीश पुत्र खंगाराराम 8 चुन्नीलाल पुत्र खंगाराराम 9 कमलेश पुत्र खंगाराराम जातियान–बिश्नोई, निवासीगण– सरनाउ, तहसील व जिला–सांचौर 10 तहसीलदार सांचौर

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु :– 15.09.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5, 7 लगायत 09 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन देवासी उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 व 6 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
5. अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

दिनांक :– 20.09.2024

:– निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा सरनाउ पटवार हल्का–सरनाउ में खेत खसरा संख्या 472 रकबा 1.93 हैक्टेयर चाही सोयम जाव सोयम के आये हुए है तथा खसरा संख्या 471 रकबा 0.05 हैक्टेयर में प्रार्थीगण की ढाणी अवस्थित है जिसमें प्रार्थी स्व. खंगारा के परिवार चिमा व उनके भाईयों की वर्षो पुरानी रहवासीय ढाणियां व कृषि कुंआ आया हुआ है। उक्त खेत में प्रार्थीगण के काश्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खेत मौजा दाता के खसरा संख्या 897 रकबा 2.84 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर व मौजा सरनाउ के खसरा संख्या 462 रकबा 3.52 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि 5 मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त रास्ते की सुविधा प्रार्थीगण को देने से आगे [illegible] आने जाने के लिए सुविधाजनक है उक्त दोनों खसरा नंबर एक ही चक में [illegible] सीमा पर आये हुए है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त [illegible] काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने जाने का निक[illegible] सुविधा[illegible] का रास्ता नहीं है अतः राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 897 [illegible]बा 2.84 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर व खसरा संख्या 462 रकबा 3.52 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि 5 मीटर चौड़े रास्ते को प्रार्थीगण के उपयोग हेतु राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7 लगायत 9 उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण हमारे खेत में से कभी आवागमन खसरा संख्या 897 व 462 में से नहीं करते है न ही मौके पर कोई रास्ता चलता है। प्रार्थीगण ने हमारे खेतों को टुकड़ों में विभक्त करने व हमें परेशान करने के लिए विधि विरूद्व पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता निकटतम रूठ का नहीं है तथा न ही सुविधाजनक है। प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 471, 472 के लिए जो रास्ते की मांग की है, उस खेत की एक संपूर्ण भूजा को छुता हुआ रास्ता खसरा संख्या 470, 470/1385, 470/1386 गैर मुमकिन रास्ता गुजर रहा है ऐसी स्थिति में रास्ते की जमीन राजस्व रेकर्ड व मौके पर दोनो स्थितियों में उपलब्ध होने से प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता है अतः प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु पेश किया गया प्रार्थना–पत्र अपोषणीय विधि विपरीत व धारा 251 'ए' की तारीफ में नहीं आने से एवं प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज, नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' एवं मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.10.2010 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उसके द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने या विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कयता है तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 471 व 472 में पहुंचने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता तो उपलब्ध नहीं है परन्तु नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 01.10.2010 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 457 में से होकर कभी कोई रास्ता नहीं चलता था आगे स्थित ढाणीयों में जाने के लिए आम रास्ता खसरा संख्या 360 है जो मौजा दाता की सरहद में से होकर आगे जाता है तथा रास्ता चाहने वाले व्यक्तियों की ढाणीयां व खातेदारी भूमि नाडी खसरा संख्या 463 से आगे स्थित है तथा लोग नाडी में आने जाने के लिए इनकी स्वयं की खातेदारी भूमि में बनाये गये रास्ते खसरा संख्या 470, 470/1385, 470/1386 का ही उपयोग करते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चारागाह/गोचर भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रादभूत नहीं हो सकते है चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन के संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी मामले के निर्णय तथा समय समय पर ए.जी. तथा ए.ए.जी महोदय की राय के आधार पर जारी निर्देशानुसार 1 अपवादी परिस्थितियों 2 लोकहित प्रयोजनार्थ, 3 अन्य भूमि की अनुपलब्धता होने, उपरोक्त तीनों शर्तों की पूर्ति होने के पश्चात ही चारागाह भूमि एवं प्रतिबंधित भूमियों के वर्गीकरण परिवर्तन आवंटन एवं नियमन पर विचार किया जा सकता है अतः निजी खातेदार को केवल सुविधा के आधार पर आवश्यक पहुंच मार्ग दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। प्रार्थीगण ने स्वयं के प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण आवागमन करते है, अतएव स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास सामुदायिक उपयोग की भूमि से रास्ते का विकल्प पूर्व से ही उपलब्ध है। इस प्रकार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु मार्ग चाहा गया है। प्रार्थीगण का पहुंच मार्ग नाडी में से होकर है, उक्त भूमि सामुदायिक उपयोग की भूमि है, अतएव प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए मार्ग की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने से एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता होने एवं आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता वैकल्पिक मार्ग, आत्यंतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं होने एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से संबंधित होने व बखूबी साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (seal)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **20.09.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (seal)

Scanned with OKEN Scanner